

अनुदान संख्या 29 - पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
GRANT No. 29-MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

	कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
			(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:		
स्वीकृत-	Voted-	1038,56,00	1030,67,88
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year		-7,88,12
			6,15,95
पूंजीगत:	Capital:		
प्रभारित-	Charged-	98,50,00	98,49,51
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year		-49
			4
स्वीकृत-	Voted-		
मूल	Original	57,64,00	
पूरक	Supplementary	2,62,00	
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year	60,26,00	59,81,40
			-44,60
			शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		
मुख्य शीर्ष "2250"	Major Head "2250"		
अन्य सामाजिक सेवाएं	Other Social Services		
मू.	O.	1000.00	
पु.	R.	-511.00	
		489.00	458.07
			-30.93

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas			
मू.	O.	11000.00	12060.00	11934.43
पु.	R.	1060.00		
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O.	88650.00	87590.00	87589.28
पु.	R.	-1060.00		

(I) मुख्य शीर्ष "2250" - "अन्य व्यय" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) "अन्य स्कीमें"- 297.13 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) "तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण"- 244.80 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कार्यान्वयन अभिकरणों से उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त न होने और विलंब से प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(II) मुख्य शीर्ष "3601" - "विशेष योजना स्कीमों के लिए अनुदान - पूर्वोत्तर परिषद के लिए स्कीम - विशेष विकास परियोजनाएं" के अंतर्गत 1060.72 लाख रु. की बचत (30150.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजनाओं को अनुमति प्रदान करने में विलंब होने के कारण हुई।

(I) Under Major Head "2250" - "Other Expenditure"-savings occurred under the following heads:-

(A) "Other Schemes"- saving of Rs.297.13 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs); and

(B) "Technical Assistance and Capacity Building"- saving of Rs.244.80 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-receipt of utilisation certificates from implementing agencies and late receipt of proposals.

(II) Under Major Head "3601"- "Grants for Special Plan Schemes-Schemes of North Eastern Council-Special Development Projects"- saving of Rs.1060.72 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.30150.00 lakhs) was due to delay in obtaining clearance for the projects.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 76.37 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 28 प्रतिशत थी।

2. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गई:-

(I) "चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य - शंकर देव नेत्रालय, गुवाहाटी को सहायता"- 220.00 लाख रु. का अधिक व्यय (100.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आवश्यक चिकित्सा अवसंरचना का निर्माण करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(II) "अन्य व्यय"-

(का) "अन्य विविध मदें"- 297.11 लाख रु. का अधिक व्यय (4925.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से प्राप्त नए प्रस्तावों का वित्तपोषण किए जाने और विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और पुस्तक अनुदान के लिए प्रतिबद्ध देयताओं को अनुमति प्रदान किए जाने के कारण हुआ।

(खा) "पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन से संबंधित परियोजनाओं को सहायता"- 192.13 लाख रु. का अधिक व्यय (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नई परियोजनाओं के वित्तपोषण और पर्यटन की भारी संभावना वाला क्षेत्र होने से अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(गा) "पूर्वोत्तर क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा कार्यक्रम"- 155.28 लाख रु. का अधिक व्यय (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सामुदायिक संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण सूचना प्रौद्योगिकी केंद्रों के वित्तपोषण के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 99.83 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 17 प्रतिशत था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (44.60 लाख रु.) मार्च, 2005 में प्राप्त किए गए 262.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 17 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 1 प्रतिशत थीं।

(I) एक शीर्ष के अंतर्गत 54.98 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 55 प्रतिशत थी।

(III) Under one head saving of Rs.76.37 lakhs occurred constituting 28 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were partly offset by excess under Major Head "2552"-under the following heads:-

(I) "Medical and Public Health - Support to Sanker Dev Netralaya, Guwahati"-excess of Rs.220.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.100.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for building up necessary medical infrastructure.

(II) "Other Expenditure"-

(A) "Other Miscellaneous items"- excess of Rs.297.11 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4925.00 lakhs) was due to financing new proposals received from the State Governments and clearance of committed liabilities towards stipend and book grant to the students.

(B) "Support to Projects related with Tourism in NER"- excess of Rs.192.13 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for financing new projects, tourism being thrust area.

(C) "Information Technology Education Programme in NER"-excess of Rs.155.28 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for funding village IT centres through community institutions.

(III) Under one head excess of Rs.99.83 lakhs occurred constituting 17 percent of the sanctioned provision.

3. In the voted portion of the capital section of the grant, the overall savings (Rs.44.60 lakhs) constituted 17 percent of the supplementary grant of Rs.262.00 lakhs obtained in March,2005 and 1 percent of the total sanctioned provision.

(I) Under one head saving of Rs.54.98 lakhs occurred constituting 55 percent of the sanctioned provision.